न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 114 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. हरखाराम पुत्र मोटाराम उम्र 57 वर्ष 2. रिड़मलराम पुत्र मोटाराम उम्र 39 वर्ष 3. आईदानराम पुत्र मोटाराम उम्र 32 वर्ष 4. श्रीमती खेतु पत्नी मोटाराम उम्र 74 वर्ष 5. गुणेशाराम पुत्र गेनाराम उम्र 89 वर्ष 6. देवाराम पुत्र गेनाराम उम्र 86 वर्ष 7. ताजाराम पुत्र गेनाराम उम्र 82 वर्ष जाति जाट निवासी मुण्ढों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर (राज0)।	**बनाम**	1.लालाराम पुत्र मानाराम उम्र 76 वर्ष 2.मूलाराम पुत्र श्री मानाराम उम्र 70 वर्ष 3.चूनाराम पुत्र श्री लालाराम उम्र 40 वर्ष 4.चेनाराम पुत्र श्री लालाराम उम्र 47 वर्ष जाति जाट निवासी मुण्ढों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर राजस्व वाद संख्या 290 / 2002 अनवान वादी हरखाराम वगै. बनाम जेठाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2016।

उपस्थित

1. वकील श्री हुक्मसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 26.03.2019

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदातागण के पिता (मानाराम पुत्र श्री पुरखाराम) की खातेदारी की भूमि ग्राम बान्दरा वर्तमान राजस्व ग्राम नागाणा पटवार हल्का मुढों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 337 रकबा 214.04 बीघा व खेत खसरा संख्या 336 रकबा 14 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी में आई हुई थी जिसका पर्चा लगान मानाराम के नाम से जारी होकर खतौनी बन्दोवस्त में मानाराम के नाम दर्ज हुई थी।ग्राम बान्दरा वर्तमान राजस्व ग्राम नागाणा पटवार हल्का मुण्ढों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 337 रकबा 214.04 बीघा में से 24 बीघा भूमि खातेदार सालूराम, जेठाराम, लालाराम, मूलाराम, भेराराम पुत्रान मानाराम जाति जाटान निवासियान बान्दरा में गोमाराम, जगराम पुत्रान उदाराम जाति जाट निवासी बान्दरा को दिनांक 22.03.1962 को बेचान कर दी थी तब उनके

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नाम म्यूटेशन क्रमांक 127 भर कर जमाबन्दी में नाम दर्ज कर खसरा संख्या 337/1 रकबा 24 बीघा दर्ज कर दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 जेठाराम ने अपने 1/5 हिस्सा में से ग्राम बान्दरा वर्तमान में राजस्व ग्राम नागाणा के खेत खसरा संख्या 337 रकबा 190.04 बीघा में से 33.05 बीघा भूमि का बेचान दिनांक 13.05.1968 को वादी क्रमांक 1 से 4 के पिता व पति मोटाराम, उतरदातागण संख्या 5 से 7 को कर दिया था जिस पर म्युटेशन क्रमांक 368 दिनांक 01.10.1970 को भरा गया था जिसमें भूल से खसरा संख्या 337/2 की जगह 337/1 रकबा 24 बीघा भूमि गोमाराम, जगराम को बेच दी थी। अपीलांटगण धारा 63(1)(3) रा0का0अधि0 के तहत राजस्व ग्राम नागाणा के खेत खसरा संख्या 337/2 रकबा 33.05 बीघा के खातेदार का चला आ रहा है। अपीलांटगण 63(1)(4) रा0का0अधि0 के प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वर्तमान दिनांक 13.05.1968 के आधार पर धारा 63(1)(4) रा0का0अधि0 के तहत राजस्व ग्राम नागाणा के खेत खसरा संख्या 337/2 रकबा 33.05 बीघा के खातेदार काश्तकार बन गये है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 और आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 सीपीसी दोनों प्रार्थना पत्रों में बहस हेतु दिनांक 11.02.2016 निश्चित की गई और दिनांक 11.02.2016 को पीठासीन अधिकारी दीगर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने से पेशी तारीखस 25.04.2016 को कोई आदेशिका नहीं लिखी जाकर सीधे ही न्याय आपके द्वारा लोक अदालत में दिनांक 18.05.2016 को रखी गई। उस दिन अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से, खानापूर्ति करने और राज्य सरकार के आंकड़े पूरे करने के उद्देश्य से अपीलांटगण का वा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये खारिज कर दिया। अतः अपीलाधीन आदेश काबिल निरस्त है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय न्याय आपके द्वार लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालाय मुढों की ढाणी में किया गया है। उस समय न ही हरखाराम उपस्थित था और न ही अपीलांट हरखाराम के आर्डरशीट पर हस्ताक्षकर हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds नहीं किया गया है। तथा धारा 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय में RT Act के तहत मूल अनुतोष धारा 88 के तहत खातेदारी घोषणा का विचाराधीन था जिसमें उभयपक्ष की सुनवाई करते निर्धारित प्रक्रिया की पालना करते हुए विवाद्यक वार निर्णय विधिवत देना अपेक्षित था परन्तु पत्रावली के अवलोकन से इसका अभाव पाया गया। वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमों के आधार संख्या 4 में उद्धृत न्यायिक दृष्टांत मा. राजस्व मण्डल–1994 RRD Page 659 के प्रकाश में नियमित वाद का वर्जन नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में यह स्वीकार किया है कि "अपीलांट/वादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बेचान क्रय की गई थी"। रजिस्टर्ड बेचान आज भी प्रभावी है इसलिए उसको नियमित वाद में आधार बनाना न्यायोचित है। म्यटेशन एक फिस्कल कार्यवाही है इसलिए उसके जरिये खातेदारी अधिकारों का अवसान नहीं किया जा सकता। गलत रूप से प्रविष्ट बट्टा खसरा संख्या के आधार पर नामांतरकरण खारिजी का आदेश खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत नियमित वाद के विचारण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। अपीलांटगण ने प्रतिफल अदा करके विधिसम्मत पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये भूमि क्रय की है और वे इसके लिए अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा करने हेतु पूर्णतः हकदार है। उन्हे अपना दावा अपने पक्ष में सिद्ध कराने हेतु सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुति का पूर्ण अवसर दिया जाना सर्वथा उपयुक्त एवं न्यायसंगत है। यही प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों की मंशा भी है। इन सब तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करना उचित होगा।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 290/2002 बअनवान हरखाराम वगै. बनाम जेठाराम वगै. पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2016 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद में तनकियात कायम कर, उभयपक्ष की साक्ष्य लिये जाकर तथा सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करे।

26/3/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner